कार्यालय सामान्य वनमंडल खण्डवा (म0प्र0)

Phone: 0733-2223244 Fax: 0733-2224531 E-Mail: dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / भाम परियोजना / 2018 / 374 खंडवा, दिनांक 26/1/18

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग खण्डवा

विषय:– भाम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित 148.75 हेक्टेयर वनभूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ:– कार्यालयीन पत्र कमांक 312 दिनांक 19.01.2018।

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि भाम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित 148.75 हेक्टेयर वनभूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव के संबंध में आपके पत्र कमांक 123 दिनांक 10.01.2018 द्वारा राजस्व ग्राम सेमलिया एवं बरार में राजस्व वनभूमि में खडे वृक्षों की सूची प्रस्तुत की गई है जिसमें राजस्व विभाग के हस्ताक्षर नहीं है। जिसका संयुक्त निरीक्षण कराने हेतु संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया था। लेकिन प्रतिवेदन अप्राप्त है। वनप्रस्ताव में राजस्व वन क्षेत्रों में ग्राम राजगढ रकबा 33.17 हे. दर्शाया गया है जिसमें वृक्षों की सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः राजस्व वन भूमि का मौके पर स्पष्ट सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे साथ ही परिक्षेत्राधिकारी गुडी से संपर्क करने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करें। ताकि वृक्षों की गणना कर गोशवारा तैयार कराया जा सके।

वनग्राम सरमेसर के डूब प्रभावित हितग्राहीयों की प्राप्त जानकारी में डूब प्रभावित रकबा नहीं दर्शाया गया है न ही मौके से सत्यापित है। अतः डूबप्रभावित हितग्राहियों की जानकारी मयमानचित्र के पूर्ण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करे। इस प्रकार आपके द्वारा प्रस्ताव में अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाती है। यह उचित नहीं है। पूर्ण जानकारी मय आवश्यक अभिलेख के तत्काल प्रस्तुत कराने का कष्ट करे, ताकि ऑनलाईन कार्यवाही की जा सके।

वनसंरक्षक
सामान्य वनमंडल खंडवा

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि / भाम परियोजना / 2018 / खण्डवा, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1/ मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2/ परिक्षेत्राधिकारी गुडी सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व क्षेत्रों में खडे वृक्षों की गणना कराकर गोशवारा पत्रक उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से तत्काल प्रस्तुत करे ताकि ऑनलाईन की कार्यवाही की जा सके।

3/ उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व क्षेत्रों में खडे वृक्षों की गणना कराकर गोशवारा पत्रक तत्काल प्रस्तुत करावे ताकि ऑनलाईन की कार्यवाही की जा सके।

Sd/-
वनसंरक्षक
सामान्य वनमंडल खंडवा

E/DM2018/memo2018/